अत्यावश्यक

कार्यालय जिला पेंशन अधिकारी, डिण्डौरी म0प्र0

क्रमांक—पेंशन / 2013 / 446 / डिण्डौरी, दिनांक— 16.08.2013

प्रति,

समस्त आहरण संवितरण अधिकारी,
जिला डिण्डौरी म0प्र0।

विषयः— शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भः— संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि, एवं बीमा, म0प्र0 भोपाल पत्र पृ0 क्रमांक— संपेंभनिबी / 2013 / 1090, दिनांक 31.07.2013.

उपरोक्त विषय में संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि, एवं बीमा म0प्र0, भोपाल का संदर्भित पत्र संलग्न कर लेख है कि संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार, पूर्व के सेवानिवृत्त तथा दिनांक 30 सितंबर 2013 तक सेवानिवृत्त होने वाले समस्त प्रकरणों का रजिस्ट्रेशन, जिला पेंशन कार्यालय, डिण्डौरी के कंप्यूटर पर दिनांक 30 सितंबर 2013 तक अनिवार्यतः कराया जाना सुनिश्चित करें।

विभागीय जांच / न्यायालयीन प्रकरण होने की स्थिति में भी उनका रजिस्ट्रेशन जिला पेंशन कार्यालय,डिण्डौरी में कराया जावे। रजिस्ट्रेशन पश्चात प्रकरण पुनः संबंधित विभाग को वापिस कर दिये जावेंगे। विभागीय जांच / न्यायालयीन प्रकरण का निराकरण हो जाने की स्थिति में प्रकरण पुनः पेंशन प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु पूर्व रजिस्ट्रेशन नं0 पर जिला पेंशन कार्यालय, डिण्डौरी में प्राप्त हो सकेंगे।

दिनांक 01 अक्टूबर 2013 के पश्चात यदि सेवानिवृत्ति तिथि तक पेंशनर के कार्यालय प्रमुख से पेंशन प्रकरण, जिला पेंशन कार्यालय,डिण्डौरी में रजिस्ट्रेशन हेतु प्राप्त नहीं होते हैं तो कार्यालय प्रमुख, जिला पेंशन अधिकारी, डिण्डौरी के माध्यम से कलेक्टर से अनुमति लेकर पेंशन प्रकरण जिला पेंशन कार्यालय, डिण्डौरी में रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत करेंगे। अनुमति की कार्यवाही अधिकतम एक सप्ताह के अंदर की जाना आवश्यक होगी।

संलग्न—उपरोक्तानुसार.

जिला पेंशन अधिकारी
डिण्डौरी

पृ0क्रमांक—पेंशन / 2013 / / डिण्डौरी, दिनांक— 16.08.2013

प्रतिलिपिः—

1. संचालक, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा, म0प्र0 भोपाल की ओर उपरोक्त संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर महोदय, डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संभागीय पेंशन अधिकारी, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला जनसंपर्क अधिकारी, डिण्डौरी की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।

जिला पेंशन अधिकारी
डिण्डौरी

pen. pension letter9

संचालनालय,पेंशन,भविष्य निधि एवं बीमा
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/संपेंभनिबी/2013 भोपाल,दिनांक / /2013

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
जिला.................................
मध्यप्रदेश ।

विषय:—शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करवाने बाबत्
—00—

वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 187/बी–6/83/नि–2/चार दिनांक 16.2.1984 एवं ज्ञापन क्रमांक डी/467/667/नि–6/चार/90 दिनांक 23.4.1990 में दिये गये निर्देशानुसार पेंशन प्रकरणों की तैयारी सेवानिवृत्ति तिथि से 24 माह पूर्व से प्रारंभ की जानी चाहिये एवं सेवानिवृत्ति से 12 माह पूर्व पेंशन प्रकरण कोषालय/जिलापेंशन कार्य की स्वीकृति हेतु भेज दिया जाना चाहिये ।

म0प्र0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम–74 के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति तारीख से 15 दिन पूर्व पेंशन/ग्रेच्यूटी भुगतान आदेश जारी होने संबंधित सूचना प्राप्त हो जाना चाहिये, परन्तु शासन की मंशा अनुसार पेंशन प्रकरणों का निराकरण नहीं किया जा रहा है ।

कम्प्यूटर से प्राप्त पेंशन प्रकरणों के आकड़ों के अवलोकन से यह पाया गया कि सेवानिृत्ति के कई वर्ष/माह पश्चात पेंशन प्रकरण कोषालयों/जिला पेंशन कार्यालयों में रजिस्टर्ड किये गये है। यह अत्यन्त खेद का विषय है । इस प्रकार शासन के मंशा के विपरीत पेंशनरों के प्रति अत्यन्त असंवेदनशीलता परिलक्षित होती है ।

अनुरोध है कि पूर्व के सेवानिवृत्त तथा दिनांक 30 सितम्बर–2013 तक सेवानिवृत्त होने वाले समस्त प्रकरणों का रजिस्ट्रेशन संभागीय/जिला पेंशन कार्यालय के कम्प्यूटर पर दिनांक 30 सितम्बर–2013 तक कराया जाना सुनिश्चित करायें ।

विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण होने की स्थिति में भी उनका रजिस्ट्रेशन संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी कार्यालय में किया जावे तथा रजिस्ट्रेशन पश्चात् प्रकरण पुनः संबंधित विभाग को वापिस कर दिया जाये । विभागीय जांच/न्यायालय प्रकरण का निराकरण हो जाने की स्थिति में प्रकरण पुनः पेंशन प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु पूर्व रजिस्ट्रेशन नं0 पर संभागीय/जिला पेंशन कार्यालय में प्राप्त किये जा सकेंगे ।

संचालनालय, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा
मध्यप्रदेश, भोपाल

दिनांक 01 अक्टूबर–2013 के पश्चात् यदि सेवानिवृत्ति तिथि तक पेंशनर के कार्यालय प्रमुख से पेंशन प्रकरण संभागीय/जिला पेंशन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन हेतु प्राप्त नहीं होते है तो कार्यालय प्रमुख संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर से अनुमति लेकर पेंशन प्रकरण संभागीय/जिला पेंशन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत करेंगे। अनुरोध है कि जिले के कलेक्टर रजिस्ट्रेशन की अनुमति देने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि प्रकरण किन कारणों से विलंब हुआ है । अनुमति की कार्यवाही अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर कर ली जावे ।

संभागीय जिला पेंशन अधिकारी माह के अंतिम दिन उन समस्त प्रकरणों जिसमें कलेक्टर से अनुमति ली गई है की सूची संलग्न निर्धारित प्रपत्र में संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा को भेजना सुनिश्चित करेंगे । उक्त सूचियां अपर मुख्य सचिव (वित्त) को प्रतिमाह लंबित पेंशन प्रकरणों की समीक्षा बैठक में प्रस्तुत की जाएंगी ।

संचालक

पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र.

पृ0कमांक/संपेंभनिबी/2013 [illegible] भोपाल,दिनांक [illegible]/[illegible]/2013

प्रतिलिपिः–

1– अपर मुख्य सचिव (वित्त), म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

2–सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

3–आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

4–समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा की ओर सूचनार्थ ।

5–समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी को इस निर्देश के साथ ही उपरोक्त दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही अपने जिले के अन्तर्गत कार्यालय प्रमुख एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारी को इस पत्र की प्रति भेजकर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करें तथा प्रति माह निर्धारित प्रपत्र में जानकारी संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा को भेजना सुनिश्चित करें ।

संयुक्त संचालक

पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र.

पेंशन, संचालनालय, 26 किसान भवन, मंडी बोर्ड परिसर, अरेरा हिल्स, भोपाल । दूरभाष कमांक– 2676035–2676032 फैक्स कमांक– 2576625